



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 23.10.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 261/25 धारा

191(2)/191(3)/115(2)/ 352/109(1)/333/117(2) बीएनएस से सम्बन्धित

02 महिला सहित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.2025

को वादी श्री प्रवेन्द्र उर्फ भुट्टू पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम बदरखा, थाना छपरौली, जनपद बागपत द्वारा थाना छपरौली पर लिखित तहरीर दी गई कि बच्चों



द्वारा पटाखे जलाने के विवाद से क्षुब्ध होकर अभियुक्तों 1-मेहरुद्दीन, 2. यामीन, 3. सलीम, 4. वसीम, 5. शादीन, 6. इस्लाम, 7. समीर पुत्र इस्लाम, 8. सैम पुत्र इस्लाम, 9. सादा उर्फ शमशाद पुत्र हनीफ, 10. आश मोहम्मद पुत्र सादा, 11. आश पुत्र सादा, 12. आसिफ पुत्र सादा, 13. चैपी पुत्र सादा, 14. प्रवीन पुत्र इस्लाम, 15. 02 महिला तथा अन्य अज्ञात अभियुक्त समस्त निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडे, तबल व अन्य हथियार लेकर वादी के घर में घुस गए। अभियुक्तों द्वारा वादी एवं उसके परिजनों के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट, गाली-गलौज की गई, जिससे वादी प्रवेन्द्र, उसका भाई अरविन्द, पिता करण सिंह, माता, पत्नी एवं भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के दौरान वादी के पिता के दाहिने पैर एवं वादी के बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना

191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 महिला सहित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-यामीन पुत्र मेहरदीन निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-सादा उर्फ शमशाद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली बागपत।
- 3- 02 महिला।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित गोला थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3-म0उ0नि0 कल्पना थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 4-का0 378 मोहित कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 5-का0 511 धर्मेन्द्र कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 23.10.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 191/2025 धारा 115(2)/140(1)/109 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.07.2025 को थाना दोघट पर वादी वेदपाल पुत्र नामालूम निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.डा0 अय्युब पुत्र नामालूम 2.सुनील पुत्र नामालूम व 02 महिलाओं



द्वारा वादी के पुत्र सन्नी के साथ जो अपने गांव कन्डेरा से हरिद्वार जाते समय कांगरान गढी अड्डा के पास मारपीट करते हुए उठाकर ले गये एवं चारो ने मिलकर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया। घायल को सीएससी बिनौली ले जाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर कर दिया गया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 191/2025 धारा 115(2)/140(1)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 191/2025

धारा 115(2)/140(1)/109 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 109 बीएनएस को धारा 103(1) बीएनएस तथा धारा 103(1) बीएनएस को धारा 108 बीएनएस में परिवर्तित किया गया है। उक्त अभियोग में पूर्व में 01 महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

- 01 महिला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-



- 1-उ०नि० श्री रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3.महिला उ०नि० शिवानी थाना दोघट जनपद बागपत।
- 5.है०का० 464 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 23.10.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 682/2025 धारा 308(5) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22-10-2025 को थाना बड़ौत पर वादी मौ० हारून पुत्र अमीर अहमद नि० नई बस्ती पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि मो०नं० 8750613816 के धारक नाम पता अज्ञात के द्वारा वादी के मो०नं० पर धमकी भरे मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गये व वादी से 30 लाख रुपये की मांग की गयी व न देने पर वादी को जानसे मारने की धमकी दी गयी । इस सम्बन्ध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु०अ०सं० 682/25 धारा 308(5) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 682/25 धारा 308(5) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाइल फोन (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

शाकिर पुत्र सलीम अहमद नि० मौ० इकरामपुर करबा व थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 59 विजयपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 876 संजय कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का० 1102 सुशान्त थाना बडौत जनपद बागपत ।

बागपत पुलिस
थाना सिंघावली अहीर



मिशन शक्ति फेज-05 अभियान के अन्तर्गत दिनांक 23.10.2025 को थाना सिंघावली अहीर मिशन शक्ति टीम द्वारा करबा अमीनगर सराय में मिली गुमशुदा 3 वर्षीय बच्ची को मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी म०उ०नि० गायत्री व उनकी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया । बच्ची के परिजनों ने मिशन शक्ति टीम व पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना की ।



#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP



**प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना रमाला**

दिनांक 23.10.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 236/2025 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 236/2025 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन व विवेचना के आधार पर धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है तथा अपहृता को दिनांक 22.10.2025 को बरामद किया जा चुका है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विजय पुत्र स्व0 रांझा निवासी रेलवे स्टेशन के पास थाना खन्ना सिटी जनपद लुधियाना पंजाब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0 पूजा यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री प्रियाशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का0 26 कुलदीप कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

